भारत में व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और महिलाओं से संबंधित मसले

"एक बेहतर तरीके की विश्व व्यवस्था का विचार वह है, जिसमें मेडिकल आविष्कार पेटेन्ट से मुक्त होंगे और जीवन एवं मौत से संबंधित मामलों में कोई मुनाफाखोरी नहीं की होगी।" – इंदिरा गांधी

व्यापारिक उदारीकरण और जेंडर संबंधी समानता

व्यापार और व्यापार को संचालित करने वाली नीतियों का किसी भी देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। दरअसल, दोनों ही किसी भी अर्थव्यवस्था में संपदा के संबंधों की योजना और पुनः योजना बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ये भूमि, शिक्षा और पूंजी जैसे संसाधनों तक पहुंच कायम करने के लिए नियमों को परिभाषित करने में प्रमुख कारक (फैक्टर) रहे हैं। चूंकि जेंडर (महिलाओं) से संबंधित विकास इन कारकों के साथ नज़दीकी से जुड़ा हुआ है, इसलिए पिछले कुछ समय से शोधार्थियों के अलावा महिला समूहों ने व्यापार नीतियों के जेंडर संबंधी आयाम की जांच–पड़ताल की है। ऐसा इसलिए, क्योंकि विश्व व्यापार की मौजूदा रूपरेखा सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती है। अर्थव्यवस्था, समाज एवं राजनीति के भीतर किसी भी व्यक्ति की संबंधित स्थिति लाभ और हानि के आधार पर तय होती है। अनेक ताजा अध्ययनों ने पाया है कि वर्तमान व्यापार नीतियां और तौर तरीके जेंडर (स्त्री–पुरूष समानता) के बारे में असंवेदनशील हैं, और महिलाओं के साथ योजनाबद्ध तरीके से असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन नीतियों ने अक्सर विकास के अवसरों तथा लाभों से महिलाओं को वंचित किया है (अंकडाट 2009, फोन्टाना 2003, वैन स्टैवेरेन इल अल 2007)। उदाहरणार्थ, बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फोर एक्शन (1995) ने कहा कि माइक्रो–आर्थिक नीतियां महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। इस प्रतिमंडल ने देशों और संगठनों से यह अपील भी की कि वे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं तथा महिलाओं की आर्थिक क्षमता में वृद्धि एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक साधन के बतौर नई तकनीकों तक पहुंच प्रदान करें।

रेखाचित्र–1: भारत में जेंडर संकेतक

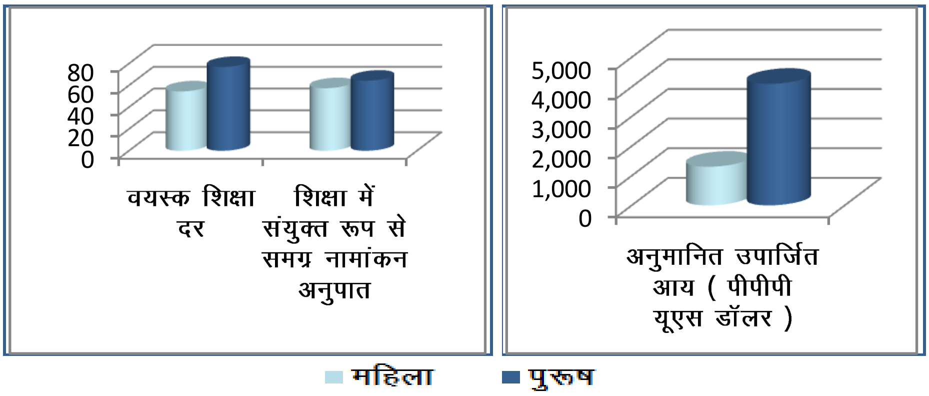

स्रोतः यूएनडीपी, मानव विकास रिपोर्ट, 2009

हालांकि भारत को 'वैश्विक महाशक्ति के रूप में प्रचारित किया गया है, पर जेंडर संबंधी विकास संकेतकों के मामलों में भारत का कार्य–प्रदर्शन कमजोर रहा है, जैसे साक्षरता दर (54.5 प्रतिशत), शिक्षा में पंजीकरण अनुपात (57.4 प्रतिशत) और महिलाओं द्वारा उपार्जित की जाने वाली आय पुरूषों की तुलना में सिर्फ 1/3 है (देखें– चित्र : 1)। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत का 134 वां स्थान है, जो श्रीलंका के स्थान (102वां) से काफी नीचे और अपने 'आर्थिक रोल मॉडल' यानी अमेरिका (19वां) से काफी दूर है। इसी प्रकार, विकास के अन्य संकेतकों, जैसे लिंग अनुपात और मातृत्व मृत्यु–दर अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक बदतर हैं। 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं। यह भारतीय इतिहास में न्यूनतम लिंग अनुपात है। गौर करने लायक बात है कि यह सब उस देश में हो रहा है, जिसकी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है। आंकड़ों की इन कड़वी हकीकतों के मद्देनजर भारत के संदर्भ में व्यापार और जेंडर संबंधी मसलों के बीच लिंकेजेज (कड़ियों) को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। नीति संबंधी इस संक्षिप्त विवरण में खासकर आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापार से महिलाओं (जेंडर) पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में प्रकाश डाला गया है।

1990 के दशक से राजनीतिक एवं आर्थिक संदर्भ में बदलावों और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के जरिए नियमों पर आधारित बहु–पक्षीय व्यापार प्रणाली अपनाने से वैश्विक नीतियों और वैश्विक प्रक्रियाओं की एक नई व्यवस्था भारत में हकदारियां और गैर–हकदारियां (इन्टाइटलमेंट्स एंड डिसइन्टाइटलमेंट्स) तय कर रही हैं। भारतीय समाज पहले ही सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक विषमताओं के जाल में रहा है। इस पृष्ठभूमि में यह नई वैश्विक व्यवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत में महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डाल रही है। अर्थव्यवस्था के कुछेक सेक्टरों में भारतीय महिलाओं को कुछ अवसर मिले हैं, पर गैर–हकदारियों की नई व्यवस्था के चलते भी वे समस्याओं का सामना कर रही हैं। वैश्विक व्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए भारत सरकार ने नीतिगत स्तर पर ऐसे अनेक बदलाव किए हैं, जो व्यापार से संबंधित हैं, जिनमें कृषि और औद्योगिक उत्पाद दोनों के सीमा शुल्कों में कमी लाना शामिल हैं। इससे उत्पादकों एवं श्रमिकों के सामने वैश्विक प्रतिस्पर्धा का खतरा पैदा हो गया है और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने सेवा सेक्टर (सर्विस सेक्टर) और निवेश नियमों (सेवाओं एवं अन्य सेक्टरों में)

में उदारीकरण करना और बौद्धिक संपदा अधिकारों को मजबूत बनाना शुरू किया है। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों में वृद्धि के साथ यह प्रक्रिया तेज हो रही है।.

व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार और जेंडर की गतिशीलता: बौद्धिक संपदा क्यों महत्वपूर्ण है ?

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) किसी नवप्रवर्तक के विचार या मस्तिष्क की उपज पर एक निश्चित अवधि के लिए उसके एकमात्र आर्थिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नवप्रवर्तन की कोई टेक्नोलॉजी, कोई उत्पाद, कोई डिजाइन और कोई अन्य रूप हो सकता है। ये विभिन्न रूप ले सकते हैं (कृपया बॉक्स–1 देखें)। आश्चर्यजनक यह है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों ने वैश्विक व्यापार समझौतों में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है– डब्ल्यूटीओ और मुक्त व्यापार समझौतों दोनों स्तरों पर, अन्यथा इनसे एक गैर–बाधात्मक वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है। विकसित देशों ने इस आधार पर सुरक्षात्मक अधिकार देने वाले बौद्धिक संपदा के नियमों को शामिल करने की मांग की है कि ये नियम नव–प्रवर्तन (इनोवेशन) को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं और वैश्विक व्यापार व्यवस्था द्वारा देश की सीमाओं के आर–पार साजसामान के मुक्त प्रवाह के लिए बौद्धिक अधिकारों को मान्यता देना आवश्यक है।

बॉक्स 1

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर): बौद्धिक संपदा के उपयोग को संग्रहित या नियंत्रित करने का अधिकार, जैसे ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार रहस्य।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ): एक अंतर–सरकारी निकाय, जहां सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमों को विकसित और लागू करते हैं।

इसका असर यह पड़ा है कि अब दुनिया भर में दवाओं, पारम्परिक दवाओं, पारम्परिक ज्ञान और कृषि जैसे क्षेत्रों में ज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पर अधिक नियंत्रण कायम हो गए हैं। नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के बजाए दवाओं के क्षेत्र में कड़े बौद्धिक अधिकारों ने विकासशील और पिछड़े देशों को प्रभावित करने वाली बीमारियों एवं स्थितियों के बारे में दवाओं की पहुंच को नाकाम कर दिया है। जहां दवाएं मौजूद हैं, वहां बौद्धिक अधिकारों ने अक्सर प्रतिस्पर्धा कम की है। इसका नतीजा न सिर्फ उत्पादों एवं टेक्नोलॉजी की कम उपलब्धता, बल्कि ऊंचे दामों के रूप में भी सामने आया है। हाल ही में अनेक अध्येताओं और नीति निर्माताओं ने प्रभावशाली ढंग से यह तर्क दिया है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार रोकते हैं। इनमें से पेटेन्ट्स का, खासकर विकासशील देशों में ज्ञान एवं टेक्नोलॉजी तक पहुंच कायम करने पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है।

इसके अलावा, आईपीआर से सिर्फ उन्हें ही लाभ होते हैं, जिनके पास सामग्रियों के महत्वपूर्ण संसाधन हैं और ज्ञान तक पहुंच कायम कर चुके हैं। उदाहरणार्थ, सिर्फ वे कंपनियां या व्यक्ति पेटेन्ट्स, कॉपीराइट्स, डिजाइन्स आदि के संदर्भ में बौद्धिक सम्पदा अधिकार पाने की आशा कर सकते हैं, जिनके पास उच्च तकनीक और सामग्रियों के संसाधन हैं। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों द्वारा अक्सर उन कंपनियों या व्यक्तियों की अनदेखी करते हुए पाया गया है, जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं हैं। भारत और दुनिया के अधिकतर विकासशील देशों में संसाधनों (पूंजी, जमीन) के स्वामित्व के अलावा शैक्षणिक योग्यताओं में महिलाएं काफी पीछे हैं। दूसरी ओर, वे अक्सर मूल्यों में नतीजतन वृद्धि और उत्पादों, दवाओं एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के साधनों की उपलब्धता की कमी से कठिनाइयों का सामना करती हैं। डब्ल्यूटीओ के साथ शुरू हुई बौद्धिक सम्पदा की व्यवस्था द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत अधिकाधिक सख्त हो गई है। इस प्रकार, पारंपरिक ज्ञान एवं दवाओं, बीज एवं खाद्य पदार्थों, कृषि प्रणालियों एवं जैव विविधता जैसे उन सभी उत्पादों, प्रणालियों एवं टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, जो जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं। इनसे पुरूषों की तुलना में महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं क्योंकि आर्थिक ढांचे की मुख्यधारा में महिलाएं उतनी अधिक एकीकृत नहीं हो पाई है, जिससे वे इन प्रणालियों में अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण कर सकें।

डब्ल्यूटीओ द्वारा अधिदेशित बौद्धिक संपदा के नियमों और मुक्त व्यापार समझौतों में तय किए गए नियमों के अलावा वैश्विक बौद्धिक संपदा के मानक ऊंचे किए जा रहे हैं। विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ), विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) और नकल–विरोधी व्यापार समझौता (एसीटीए) जैसे समानांतर तथा अतिरिक्त मैकेनिजम्स के जरिए इनके पालन पर जोर दिया जाता है। (देखें–रेखाचित्र–2)। ये कभी–कभी एक–दूसरे पर अतिव्याप्त (ओवरलैप) एवं पूरक हो जाते हैं और बौद्धिक सम्पदा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। इन प्रणालियों के कुछ प्रभाव और उनकी जेंडर संबंधी विशेष चिंताओं की नीचे चर्चा की जा रही है।

रेखाचित्र–2 : आईपीआर को प्रभावित करने वाली संस्थाएं/मैकेनिजम्स

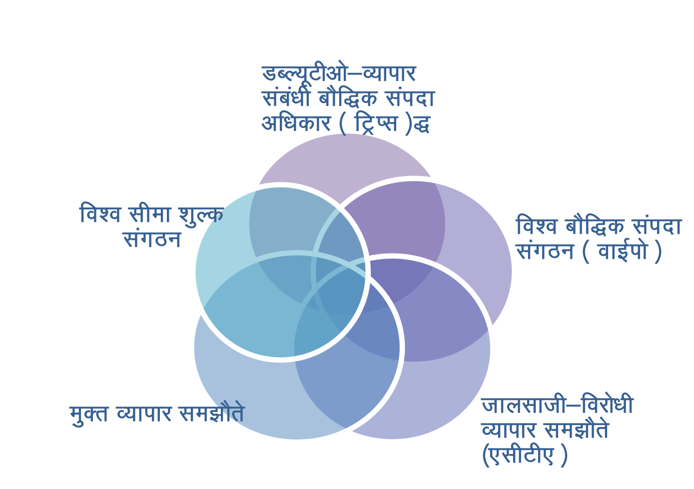

डब्ल्यूटीओ और बौद्धिक संपदः व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौता (ट्रिप्स समझौता)

व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौते को ट्रिप्स समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इससे आशा की गई है कि वह भावी नव–प्रवर्तनों (इनोवेशंस) एवं सृजन को इंसेन्टिव्स देने के लिए दीर्घकालिक सामाजिक उद्देश्यों और जनता को मौजूदा नव–प्रवर्तनों एवं सृजन के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए लघुकालिक उद्देश्यों के बीच एक संतुलन कायम करे। इस समझौते में कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से लेकर एकीकृत सर्किट डिजाइन और व्यापारिक रहस्यों तक के व्यापक विषय कवर किए गए हैं। दवाओं और अन्य उत्पादों के लिए पेटेंट्स इस समझौते (डब्ल्यूटीओ : 2006) का मात्र एक हिस्सा हैं।

ट्रिप्स समझौते ने बौद्धिक संपदा से संबंधित नियमों को वैश्विक बना दिया और देशों द्वारा इनके मुताबिक अपने कानून में संशोधन करना जरूरी बन गया। उदाहरणार्थ, ट्रिप्स के तहत जरूरी है कि देश 20 साल के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं के पेटेन्ट्स को मंजूरी दें। साथ ही, जब इस समझौते पर वार्ता चल रही थी तो विश्व के किसी भी देश ने इतने लंबे समय तक का पेटेन्ट प्रदान नहीं किया था और भारत सहित अनेक देशों ने खाद्य पदार्थों एवं दवाओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यंत सीमित अधिकार प्रदान किए थे। डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के बीच विकास में फर्कों को मानते हुए ट्रिप्स समझौते ने इस समझौते के पालन के लिए भिन्न समय की अवधियां बतलाईं। विकसित देशों के लिए एक साल बतलाया गया, जबकि विकासशील देशों के लिए अंतिम तारीख एक जनवरी, 2005 बतलाई गई और अल्प विकसित देशों (एलसीडी) के लिए 2013 का साल बतलाया गया। अपवाद के रूप में दवाओं के मामले में अल्प विकसित देशों के लिए अंतिम समयसीमा 2016 बतलाई गई।

रेखाचित्र–3: भारतीय पेटेन्ट ऑफिस द्वारा मंजूर दवाओं के पेटेन्ट्स

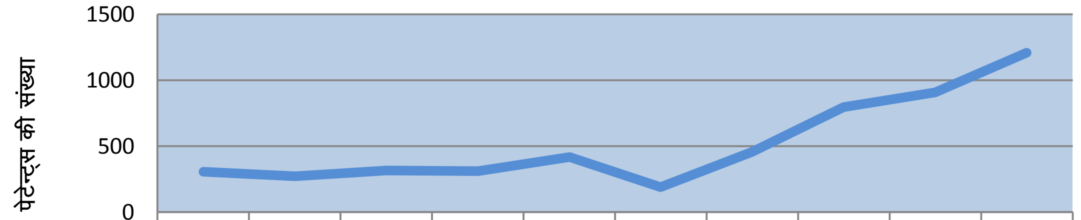

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Drug patents granted	307	276	320	312	419	192	457	798	905	1207

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट्स, भारतीय पेटेन्ट ऑफिस

ट्रिप्स समझौते के पालन के बारे में भारत के लिए अंतिम समयसीमा 2005 थी। अंकटाड (यूएनसीटीएड) द्वारा इसे विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में घोषित करने के बाद भारत की संसद भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने के लिए बाध्य हो गई। भारतीय पेटेन्ट ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार डब्ल्यूटीओ की घोषणा के बाद भारतीय कानून में बदलावों से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत हद तक उत्पादों के पेटेन्ट हासिल हुए, जो इस कारोबार में प्राथमिक महारथी कंपनियां हैं। इसी प्रकार, 2005 से भारतीय पेटेन्ट ऑफिस द्वारा दवाओं के पेटेन्ट्स की मंजूरी की संख्या बढ़ गई है (देखें– रेखाचित्र : 3)।

ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर के लगभग 5 साल बाद 2001 में दुनिया भर में दवाओं के पेटेन्ट्स के प्रभाव महसूस होने शुरू हुए। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में एच.आई.वी. की महामारी फैलने पर अमेरिका एवं यूरोप में पेटेन्ट द्वारा रक्षित दवाएं अत्यंत ऊंचे दाम पर उपलब्ध हो रही थी। इस संकट ने डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा ट्रिप्स एवं जन–स्वास्थ्य पर दोहा यह महत्वपूर्ण घोषणा जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया कि इस समझौते में सदस्य देशों को जन–स्वास्थ्य की रक्षा की खातिर कथित ट्रिप्स–फ्लेक्सिबिलिटीज (लचीली शर्तों) के उपयोग के अधिकारों को भी मान्यता दी गई है।

बॉक्स 2: दोहा घोषणा का महत्व

सन 2001 में, **विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)** दोहा में अपनी मंत्रीस्तरीय बैठक में एक सहमति पर पहुंचा, जिसे 'दोहा घोषणा' के नाम से जाना जाता है। इसने ट्रिप्स की व्याख्या सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने और सार्वजनिक रूप से दवाओं पर पहुंच पाने को बढ़ावा देने के लिए अधिकारों हेतु डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के समर्थक के रूप में की। दोहा घोषणा सदस्य देशों के अधिकारों को ट्रिप्स के लचीलेपन को चिन्हित करती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपायों की रक्षा करेगी।

पेटेन्टशुदा टेक्नोलॉजी के अधिकार धारक और वास्तविक इस्तेमालकर्ता के बीच एक संतुलन कायम करने के लिए डब्ल्यूटीओ–ट्रिप्स इन मामलों में लचीलेपन की इजाजत देता है : (1.) ट्रिप्स के दायित्व पर अमल का तरीका, (2.) रक्षा के विधिवत मानक, (3.) लागू करने का मैकेनिज्म, और (4.) ट्रिप्स द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्र। पहली श्रेणी में नयापन एवं नवोन्मेषिता (इन्वेन्टिवनेस) या अनिवार्य लाइसेंस के उद्देश्य के लिए बेहद जरूरी स्थितियां जैसी बातें शामिल होती हैं। अनिवार्य लाइसेंसिंग के मामले में कोई भी सरकार पेटेन्ट के मालिक की सहमति के बिना किसी अन्य को पेटेन्टशुदा उत्पाद या प्रक्रिया

के उत्पादन की इजाजत दे सकती है। लचीलेपन की दूसरी श्रेणी में अपवादों को पेश करने के अधिकार देने, जैसे प्रयोगात्मक इस्तेमाल और ''बोलार'' अपवाद शामिल होते हैं। तीसरी श्रेणी में सदस्य लागू करने के दायित्व पर अमल के लिए स्वयं अपनी कानूनी व्यवस्था और तौर तरीकों का सहारा ले सकते हैं।

मुक्त व्यापार समझौते, ट्रिप्स–प्लस प्रावधान

रेखाचित्र–4: मुक्त व्यापार समझौते में ट्रिप्स प्लस आईपी प्रावधान

डाटा एक्सक्लुसिविटी : पूर्व–क्लीनिकल और क्लीनिकल परीक्षण डाटा के लिए दिए गए एक्सक्लूसिव अधिकार, जो आविष्कारक कंपनियों द्वारा दवा के नियंत्रकों को प्रदान किए जाते हैं।

पेटेंट समयावधि का विस्तार : पेटेंट समयावधि को 20 सालों से आगे बढ़ाना।

मजबूत आईपी प्रवर्तन तंत्र: आईपीआर उल्लंघन का अपराधीकरण

पेटेंट करने का व्यापक क्षेत्र: यानी जीवन पेटेंट करने का कोई निष्कासन नहीं।

पेटेंट लिंकेजः दवा की स्वीकृति और पेटेंट को लिंक करना

मुक्त व्यापार समझौते विशिष्ट रूप से व्यापार एवं निवेश के संदर्भ में सरकारों के दायित्वों का उससे भी ज्यादा विस्तार करते हैं, जितने पर डब्ल्यूटीओ में देश सहमत हुए हैं। विकासशील देशों के पास अपने हितों की रक्षा के लिए डब्ल्यूटीओ में एक ब्लॉक के रूप में सौदेबाजी करने की फायदेमंद स्थिति थी। लेकिन, मुक्त व्यापार समझौते देश–दर–देश के साथ किए जा रहे हैं, इसलिए किसी मजबूत व्यापार साझेदार या विकसित देश के साथ अपने बलबूते सौदेबाजी करने में विकासशील देशों की सौदेबाजी की स्थिति कमजोर होती है। डब्ल्यूटीओ की तरह मुक्त व्यापार समझौते क्षेत्राधिकार की दृष्टि से अत्यंत व्यापक होते हैं और उनमें व्यापार, सेवाएं एवं बौद्धिक संपदा सहित विभिन्न सेक्टर कवर किए जाते हैं। दरअसल, मुक्त व्यापार समझौते अक्सर डब्ल्यूटीओ के नियमों से परे जाते दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा के बारे में प्रावधान शामिल होते हैं, जो उरुग्वे दौर की वार्ता में विकासशील देशों द्वारा मूल रूप से डब्ल्यूटीओ से बाहर रखे गए थे।

एफटीए पर हाल ही के अध्ययनों ने दर्शाया है कि विकसित देशों द्वारा विकासशील और अल्प विकसित देशों की राष्ट्रीय नीतियों पर तथाकथित 'ट्रिप्स–प्लस प्रावधान' जबरदस्ती थोप दिए जाते हैं (देखें–रेखाचित्र : 4)। नीतिगत अर्थ में, ''ट्रिप्स–प्लस'' प्रावधान एक अनौपचारिक शब्दावली है, जिसका उपयोग बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा को इंगित करने के लिए किया जाता है, जो ट्रिप्स समझौते में आवश्यकताओं के परे चली जाती है, अर्थात आईपीआर की ऐसी कोई भी सुरक्षा, जो ट्रिप्स प्रावधानों में बताए गए मानकों और आवश्यकताओं के परे चली जाती है, उसे ट्रिप्स प्लस कहा जा सकता है।

हालांकि, आईपीआर सुरक्षा के वेश में जिन ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज की ऊपर चर्चा की गई है, वे धीरे–धीरे अनप्रयुक्त बनाई जा रही हैं। उदाहरणार्थ डाटा एक्सक्लुसिविटी ट्रिप्स–प्लस उपाय का एक उदाहरण है, जिसका विकासशील देशों पर भारी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि यह ऑफ–पेटेन्ट दवाओं की विस्तारित सुरक्षा ला सकता है (देखें–रेखाचित्र–5)। डाटा एक्सक्लुसिविटी की अवधि के तहत यदि कोई अनिवार्य लाइसेंसिंग (पेटेंट धारक की अनुमति के बिना ही पेटेंट किए गए उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग के लिए लाइसेंस) जारी किया जाता है तो भी कंपनियां लाइसेंसीकृत दवा की मार्केटिंग की मंजूरी पाने में सक्षम नहीं होंगी। पेटेन्ट सुरक्षा की अवधि 20 साल से अधिक बढ़ाना, दवा–मार्केटिंग की मंजूरी–पेटेन्ट लिंकेजेज ट्रिप्स प्लस बौद्धिक संपदा के प्रावधानों के अन्य उदाहरण हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ट्रिप्स प्लस के अधिकतर प्रावधान देसी दवाओं (जेनेरिक दवाओं) में प्रतिस्पर्धा में देरी या बाधा पैदा करते हैं। इस प्रकार, ये प्रावधान बाजार में बड़ी दवा कंपनियों के एकाधिकारी अधिकारों का विस्तार करते हैं। ज्ञान और तकनीक के उपयोग पर नियंत्रण भी मजबूत होता जा रहा है।

रेखाचित्र–5 : एफटीए में डाटा एक्सक्लुसिविटी और प्रभाव : कुछ उदाहरण

दवाएंः आईपी को समानांतर सुरक्षा प्रदान करना, जेनेरिक उत्पादक¨ क¨ सप्लाई से र¨कता है, दवाअ¨ के दाम¨ में वृद्धि ह¨ने से महिलाअ¨ जैसे कमजोर समूहों के लिए ये दवाएं पहुंच से बाहर ह¨ जाती हैं।

क्लीनिकल परीक्षणः अक्सर महिलाअ¨ और गरीब लोगों पर अतिरिक्त परीक्षण¨ क¨ बढ़ावा देता है, जिससे उनके स्वास्थ्य संबंधी ज¨खिम बढ़ते हैं। यह चिकित्सा शोध पर हेलसिंकी घोषणा के खिलाफ है।

कृषि रसायन : अतिरिक्त क्लीनिकल परीक्षणों को बढ़ावा देता है। जेनेरिक कीटनाशकों और कृषि रसायनों को अपनाने में देरी करता है, मूल्य में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। लघु उद्योग¨ के लिए खतरा पैदा करता है।

बौद्धिक संपदा का प्रभाव : सेक्टर–विशेष पर दृष्टिपात और जेंडर से संबंधित चिंताएं

दवाएं

भारतीय पेटेन्ट्स एवं डिजाइन अधिनियम, 1970 के तहत दो प्रकार के पेटेन्ट्स हैं– प्रोडक्ट (उत्पाद) एवं प्रक्रिया (प्रोसेस) पेटेन्ट्स। इनके लागू रहने की अवधि 14 साल है। इसने दवाओं एवं कृषि–रसायनों को उत्पाद पेटेन्ट व्यवस्था से भी दूर रखा। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान यह है कि खाद्य पदार्थ, औषधि या दवा के लिए उत्पाद पेटेन्ट्स की अवधि पेटेन्ट्स की सीलिंग से पांच साल या पेटेन्ट की तारीख से सात साल की होती है, जिनमें से जो कोई कम हो। 1970 के दशक के नीतिगत इनपुट्स, खासकर उत्पाद पेटेन्ट के अभाव की व्यवस्था ने 1970 के दशक के बाद भारतीय दवा उद्योग के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाई। दरअसल, इसने दवा उद्योग में समुचित घरेलू प्रतिस्पर्धा के अलावा अन्य विकासशील देशों की तुलना में दवाओं तक आसान पहुंच भी सुनिश्चित की। इसके बाद के सालों में भारत विकासशील देशों में आवश्यक दवाओं का मुख्य सप्लायर बन गया है। एमएसएफ के मुताबिक भारत से निर्यात होने वाली 67 प्रतिशत दवाएं विकासशील देशों में जाती हैं। यूनिसेफ (उनके द्वारा वितरित की जाने वाली दवाओं में लगभग 50 प्रतिशत), इंटरनेशनल डिसपेन्सरी एसोसिएशन (आईडीए), ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबर कुलोसिस एंड मलेरिया (जीएफएटीएम) और क्लिंटन फाउंडेशन जैसी मुख्य खरीद एजेंसियां भारत से इनकी दवाएं खरीदती हैं।

बॉक्स 3: दवाओं से संबंधित ट्रिप्स–प्लस प्रावधान

1. डाटा एक्सक्लुसिविटी
2. मेडिकल पेटेंट्स का सदाबहार होना
3. पेटेंट लिंकेज
4. अनिवार्य लाइसेंसों में बाधा डालना
5. समानांतर आयातीकरण को बाधित करना
6. सीमा पर उपाय
7. सरकारी खरीद में घरेलू निजी और सार्वजनिक कंपनियों को मिलने वाली वरीयता को प्रतिबंधित करना।

इस नीति ने दवाओं तक आसान पहुंच को बढ़ावा दिया, जो अब कड़ी पेटेन्ट व्यवस्थाओं के चलते खतरे में है। भारत की सस्ती दवा निर्माता कंपनियों के विकास को वैश्विक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है, इसलिए उन्होंने विभिन्न उपायों के जरिए भारतीय घरेलू उद्योग के विकास पर अंकुश लगाने के योजनाबद्ध प्रयास किए हैं। कड़ी पेटेन्ट व्यवस्था बाजार पर कब्जे की लड़ाई में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का एक हथियार बन गई है। इस पूरी राजनीति में गरीबों और जरूरतमंदो की दवाओं तक आसान पहुंच पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

तालिका संख्या 1 : मंहगी ब्रांडेड दवाओं के चयनित मामलों की सूची

दवा के ब्रांड का नाम	अंतर्राष्ट्रीय गैर–स्वामित्व नाम	कंपनी	लक्षण	पैकेज	मूल्य (रु.)
हरसेप्टीन	त्रास्तुजुमैब	रोचे	स्तन कैंसर	440मिग्रा X 50 मिग्रा X 1's	1,24,000
टायकेर्ब	लैपेटिनिब	ग्लैक्सो	स्तन कैंसर	250मिग्रा X 70's	46,025
एरिमिडेक्स टैबलेट	एनास्त्रोजोल	एस्ट्रा जेनेका	स्तन कैंसर	1 मिग्रा 2 X 14	3,272
गार्डासिल	वैक्सिन	मर्क	सर्वाइकल कैंसर	0.5 मिली	2,800

स्रोतः सीआईएमएस वेबसाइट http://www.mims.com/index.aspx

पिछले कुछ समय, खासकर उत्पाद पेटेन्ट की व्यवस्था लागू होने के बाद से दवाओं के दाम आसमान छू गए हैं। पेटेन्टशुदा दवाएं मूल्य नियंत्रण और मूल्य पर निगरानी के बिना बेची जाती हैं क्योंकि यह नेशनल फार्मेस्यूटिकल प्राइसिंग अथोरिटी (एनपीपीए) के तहत नहीं आता। नतीजतन, दवा कंपनियां मनमाने दाम वसूलने को स्वतंत्र हैं। कुछ प्रवर्तक कंपनियों द्वारा महिलाओं में कैंसर के कुछ रूपों से संबंधित दवाओं की मनमानी कीमतें वसूलने (देखें–तालिका : 1) का नीचे विस्तार से वर्णन किया गया है।

भारत में, इलाज और स्वास्थ्य की देखभाल तक पहुंच पाने में एक स्पष्ट जेंडर भिन्नता रही है। इसके अलावा, दवाओं और अस्पताल की सुविधाओं के मामलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया जाता है। इसलिए, जब कभी दवाओं की कीमतों में वृद्धि और दवाओं की उपलब्धता में कमी होती है तो महिलाओं के इलाज की संभावना कम हो जाती है। यह एच.आई.वी से ग्रस्त पति–पत्नी के मामलों के अध्ययनों में भी स्पष्ट हुआ है, जहां यदि दवाओं की आपूर्ति बाधित होती है तो महिलाएं अपने इलाज को छोड़ने के लिए राजी हो जाती हैं और पुरुषों को इलाज जारी रखने की अनुमति देती हैं। स्तन कैंसर की एक प्रमुख दवा त्रास्तुमज़ाब भारत में पेटेन्टशुदा है और प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह 1,24,000 रु. के दाम पर उपलब्ध है। इस प्रकार, कोई भी औसत भारतीय 52 सप्ताह के लिए जरूरी दवा के इलाज का खर्च उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।

पारंपरिक ज्ञान और दवाएं

पारंपरिक ज्ञान का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके दायरे में व्यापक रेंज के क्षेत्र, जैसे– भोजन एवं कृषि, पर्यावरण, खासकर, जैव–विविधता का संरक्षण, पारंपरिक दवाओं सहित स्वास्थ्य, मानवाधिकार और देसी मुद्दे तथा व्यापार एवं आर्थिक विकास के पहलू आते हैं। पिछले कुछ समय में, इनकी व्यावसायिक संभावनाओं के बढ़ने से पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के संसाधनों पर नियंत्रण और पहुंच पाने का मुद्दा महत्वपूर्ण जांच के तहत रहा है, खासकर पारंपरिक ज्ञान (टीके) के बारे में बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रणालियों की भूमिका। किस प्रकार पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, सुरक्षा और समुचित उपयोग किया जाए, यह सवाल अभी भी विवाद का विषय है। इसी प्रकार, हाल ही में, जैव–चोरी और उत्पादों के पेटेन्टीकरण के ऐसे कई उदाहरण हैं, जो पारंपरिक ज्ञान के संदर्भ में उभरे हैं। (देखे– बॉक्स : 5)। असल में, इस बारे में ''जख्म के इलाज में हल्दी के उपयोग'' का पेटेंट होना पहला विवादास्पद मामला है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता– जैविक विविधता पर कन्वेन्शन (सीबीडी) ने दुनिया भर में जैविक विविधता के संरक्षण लिए पारंपरिक ज्ञान का मसला उठाया था। सीबीडी विवादास्पद रहा है क्योंकि यह पहुंच और लाभ साझा करने से संबंधित मामलों पर आम सहमति कायम नहीं कर पाया। सीबीडी के अनुच्छेद 8 (जे) के अनुसार, समझौता करने वाला प्रत्येक सदस्य देश, जहां तक संभव हो, जहां तक उचित हो और अपने देश में प्रचलित कानून के तहत, ज्ञान, नवोन्मेष और स्वदेशी तथा स्थानीय समुदायों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पद्धतियों का सम्मान, संरक्षण और देखभाल करेगा। इसके तहत पारंपरिक रूप से जैव विविधता का लगातार समावेश करेगा और ऐसे ज्ञान, नवोन्मेष एवं कार्यों को धारण करने वाले लोगों की सहभागिता तथा स्वीकृति से इनके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देगा तथा ऐसे ज्ञान, नवीनता और कार्यों के उपयोग से होने वाले लाभों के समुचित वितरण को बढ़ावा देगा। पर, ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां कंपनियों या पेटेन्ट–समर्थक नवोन्मेषी वैज्ञानिकों ने नीतियों की विभिन्न खामियों एवं नीतिगत आड़ के जरिए पारंपरिक ज्ञान के जानकारों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है।

बॉक्स 4: पारंपरिक ज्ञान (टी.के.)

यह एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, जिसका अर्थ व्यापक स्तर पर विविध क्षेत्रों को शामिल किए हुए उस ज्ञान प्रणालियों से है, जिसे पारंपरिक समूहों या समुदायों द्वारा धारण किया गया है या एक गैर–प्रणालीगत तरीके से अर्जित ज्ञान है। ज्ञान की इन प्रणालियों के पास पहचान और महत्व न सिर्फ इसके धारण करने वाले लोगों, बल्कि पूरी मानव समुदाय के लिए है। पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा की दो व्यापक प्रणालियां हैं:

1. सकारात्मक सुरक्षा, अर्थात पारंपरिक ज्ञान को धारण करने वाले लोगों को पारंपरिक ज्ञान का दुरूपयोग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई या उपाय करने का अधिकार देना,
2. सुरक्षात्मक सुरक्षा : यानी पारंपरिक ज्ञान पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा अर्जित किए गए औचित्यहीन बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अधिकार करने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना।

पारंपरिक ज्ञान के तौर तरीके अपनाने और उनके संरक्षण में महिलाओं की भूमिका अनेक क्षेत्रों में अच्छी तरह दर्ज की गई है। ये क्षेत्र हैं– बीज संरक्षण, बॉयो मास से जुड़ी गतिविधियां, पारंपरिक खेती और पारंपरिक दवाएं अपनाने एवं उनके उपयोग, खासकर स्त्रीरोगों के इलाज में। पारंपरिक ज्ञान को महिलाओं के विज्ञान के रूप में मान्यता दी गई है।

पश्चिमी घाटों, उत्तरपूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा के जेपोर इलाकों और तटवर्ती पर्यावरणीय प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में जैव–विविधता भारत में पहले से ही खतरे में है। पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच, उसे अपनाने और उसके वाणिज्यीकरण की मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए विकास के वैकल्पिक मॉडल्स लाने की जरूरत है, जो समुदायों को आत्मनिर्भर बनाएंगे एवं कॉरपोरेट के अधिग्रहण के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे।

बॉक्स 5: जैविक संसाधनों पर आधारित 'आविष्कारों' पर प्रदान किए गए पेटेंट के उदाहरण

- जख्म के उपचार में हल्दी का प्रयोग करना (यूएसपीटीओ ने बाद में पेटेंट को हटा दिया)।
- मधुमेह के रोग के इलाज के लिए जामुन, कड़वी लौकी, गुर–मार और बैंगन के पौधे का कंपोजिशन।
- नीम के पेड़ से प्राप्त कई उत्पाद।
- बासमती की ऐसी किस्में, जिनमें सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति में शीतोष्ण जलवायु (न अधिक गर्म, न अधिक ठंडा) में विकसित होने की विशेषता होती है।
- ब्लड ग्लूकोज के स्तर में कमी लाने के लिए मेथी का टॉनिक के रूप में कंपोजिशन।
- इम्युन–कार्यो को बढ़ाने और मधुमेह, हेपटाइटिस और अस्थमा के इलाज के लिए काला जीरा या कलौंजी के कंपोजिशंस।

कृषि

कृषि से संबंधित बौद्धिक संपदा के कई मसले हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसला बीजों तक पहुंच से जुड़ा है। ट्रिप्स समझौते के तहत देशों को पौधों और पशुओं के पेटेन्ट की अनुमति नहीं दी गई, पर पौधे की किस्म (पौधे की श्रेणियां, आम तौर पर कोई कल्टीवर या संकर किस्म का बीज) के पेटेन्ट की इजाजत है। हांलाकि, उन्हें स्थानीय स्थितियों के अनुरुप 'सुई जेनेरिस' प्रणाली के साथ सामने आने की अनुमति दी जाती है। इसके अनुसार, भारत ने अपने पौधा किस्म सुरक्षा (पीवीए) अधिनियम 2001 में पारित किया ताकि उत्पादकों के बौद्धिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। पर, यह अधिनियम उत्पादकों के अधिकारों के मुकाबले किसानों के अधिकारों को वरीयता देता है और किसानों को बीजों को सहेजने, उपयोग एवं आदान–प्रदान की इजाजत देता है। इस प्रकार, यह उस कृषि प्रणाली की रक्षा करता है, जो भारतीय किसानों, खासकर लघु किसानों द्वारा अपनाई जाती है।

भारत मुक्त व्यापार समझौतों (जैसे– ईयू के साथ) के बारे में विकसित देशों से वार्ता कर रहा है, उनसे नुकसान होने की आशंका है। इनमें आम तौर पर यह मांग शामिल की जाती है कि भारत को पौधों की नई किस्मों के रक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संघ (इंटरनेशनल यूनियन फोर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स, संक्षेप में– यूपीओवी, 1991) में शामिल होना चाहिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन है, जो पौधे की किस्म रक्षा की एक रूपरेखा प्रदान करती है। लेकिन, भारत के पीवीपी अधिनियम में किसानों के अधिकारों की तुलना में उत्पादकों के अधिकारों को वरीयता प्रदान की गई है और यह किसानों को बीज सहेजने, उनके उपयोग और मुक्त रूप से आदान–प्रदान से रोक सकता है। यह अनुसंधान के लिए रक्षित पौधा किस्मों के इस्तेमाल से भी रोकता है। भारत (जैसे– अरूणाचल प्रदेश में अपटानिज और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में गढ़वाली महिलाएं) और अन्य देशों में महिलाओं ने पारंपरिक रूप से बीज सहेजने में भूमिका निभाई है। लेकिन, इन प्रावधानों के चलते उत्पादन के लिए बीज सहेजने, आदान–प्रदान करने और भविष्य के लिए बीज सहेज कर अपने परिवारों का गुजारा चलाने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है।

विकसित देशों के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों के कड़े प्रावधान मौजूदा और किसानों के पौधों की किस्मों के पंजीकरण जैसे कानूनी प्रावधानों को खतरा पहुंचा सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौते के प्रावधान किसानों के नवोन्मेषों (इनोवेशंस) के लिए उनकी क्षतिपूर्ति के लाभ साझा करने के प्रावधान भी खतरे में पड़ सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौते के प्रावधानों द्वारा आसान पहुंच संबंधी घरेलू कानूनों और भारत के जैव–विविधता कानून या सामग्री के उद्भव के खुलासे से संबंधित नियमों का महत्व कम किए जाने की आशंका बनी रहेगी। इन प्रावधानों के चलते जैविक–विविधता पर कन्वेन्शन (सीबीडी) के तहत आसान पहुंच और लाभ साझा करने (एबीएस) के बारे में अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं भी खतरे में पड़ सकती हैं।

बॉक्स संख्या 6: कृषि से संबंधित ट्रिप्स–प्लस प्रावधान

1. सुरक्षा के मानकों का विस्तार करना

– जीवन के प्रारूपों के पेटेंट संबंधी योग्यता

– बुडापेस्ट संधि को मान लेने की आवश्यकता, जो संबंधित पक्षों को एक अंतर्राष्ट्रीय डिपोजिटरी प्राधिकार के माध्यम से पूर्ण रूप से लिखित आविष्कारों को प्रकट करने के बदले सूक्ष्म जीवों के नमूनों के भौतिक संग्रह की पहचान करना बाध्यकारी बनाता है

2. कृषि–रसायन उत्पादों के लिए डाटा एक्सक्लुसिविटी

3. पौधों की नई प्रजातियों की सुरक्षा (यूपीओवी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ जुड़े होने की बाध्यता

जैसाकि पहले बताया गया है, विदेश स्थित बड़ी फर्मों के पारंपरिक ज्ञान पर नियंत्रण से भारतीय पारंपरिक खेती और उस पर निर्भर लोगों को खतरा पहुंच सकता है। इससे महिला उत्पादक बहुत प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि वे आम तौर पर खेती की पारंपरिक प्रणालियों पर अधिक निर्भर रहती है, जैसे– सिक किम और पश्चिम बंगाल में अदरक की खेती, केरल के वायानाड में सबसिस्टेंस खेती और तमिलनाडु की कोल्ली पहाड़ी क्षेत्र में विविध ढंग की पारंपरिक खेती।

इसके अलावा, भारत ने डब्ल्यूटीओ में सूक्ष्म जीवों की सटीक परिभाषा के लिए कड़ा रुख अपनाया था क्योंकि विकास के लिहाज से जीवन की पेटेन्टिंग एक संवेदनशील मसला है। इसे ट्रिप्स के दायरे से बाहर रखा गया था। पर, यदि मुक्त व्यापार समझौते के विकसित साझेदारों द्वारा उस बुडापेस्ट संधि की अभिपुष्टि के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के नियमों में ढील देने की इजाजत दी गई है तो उपरोक्त पहलू को ट्रिप्स के दायरे से बाहर रखने का विकल्प नहीं बचता है।

भौगोलिक संकेतक (जीआई) बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के अन्य रूप हैं, जिन पर विकसित देश भारी जोर देते रहे हैं। भौगोलिक संकेतकों के तहत किसी क्षेत्र के उत्पादों को कुछ बौद्धिक संपदा अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र उनका उत्पादन और बिक्री नहीं कर सकते। इसकी प्रमुख मिसालें ईयू की शैम्पेन, स्कॉच व्हिस्की हैं। इस प्रकार का प्रावधान विकासशील देशों, खासकर उन लघु एवं महिला किसानों के लिए अहितकर है, जो भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण के मामले में कमजोर हैं क्योंकि इनके लिए जटिल दस्तावेजी प्रमाण, प्रोसेसिंग फीस और पद्धतियों की जानकारी जरूरी है। इस समय डबल्यूटीओ में भौगोलिक संकेतकों की पारस्परिक मान्यता प्रणाली के बारे में वार्ता चल रही है। इसके अलावा, भारत के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में ईयू ने मांग रखी है कि उसके कृषि संबंधी भौगोलिक संकेतकों को भारत में स्वचालित ढंग से मान्यता दी जाए। इस प्रकार की मांगों से आम तौर पर भारतीय कृषि और खासकर, कमजोर किसानों को खतरा पहुंचने की संभावना है।

कृषि रसायनों को 2004 तक पेटेंट से छूट प्रदान की गई थी, पर भारतीय पेटेंट अधिनियम, 2005 के तहत उन्हें शामिल किया गया है। इससे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। मुक्त व्यापार समझौतों में डाटा एक्सक्लुसिविटी की धारा अब एक विस्तारित सुरक्षा एवं एकाधिकारवादी प्रणाली को शामिल करती है, जिससे उत्पादकों पर कम लागत के जेनेरिक कृषि रसायनों को अपनाने पर उनके पेटेन्ट्स की मियाद खत्म होने पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। कुछ मुक्त व्यापार समझौतों के तहत पेटेन्ट की अवधि को पांच साल तक आगे बढ़ाने का भी कृषि रसायनों पर प्रभाव पड़ेगा। ये सभी प्रावधान जेनेरिक उर्वरकों, पेस्टीसाइड्स, इनसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स आदि की कीमतों और उपलब्धता पर असर डाल सकते हैं।

निष्कर्ष

विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से महिलाएं एवं पुरुष विकास के अलग अलग स्थानों पर हैं। हांलाकि व्यापार नीतियों से जेंडर के प्रति निष्पक्षता बरतने की आशा की जाती है, पर व्यवहार में, वर्तमान नीतियां समग्र रूप से जेंडर के आधार पर

पक्षपातपूर्ण रवैये से ग्रस्त हैं। एफटीए और डब्ल्यूटीए–प्लस के प्रावधान उसका महत्व पूरी तरह कम कर देंगे, जिसे हमने जेंडर से जुड़े विकास संकेतकों में हासिल किया है। चूंकि इन नीतियों का महिलाओं और हाशिए पर रह रहे वर्गों की हकदारियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सरकार को प्रभाव के आकलन का एक व्यापक अध्ययन करवाना चाहिए ताकि उन सामाजिक और आर्थिक लागतों का अध्ययन किया जाए, जो भारतीय जनसंख्या के कमजोर वर्गों को प्रभाावित करते हैं। सरकार को कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अपनी घरेलू नीति पर पुनः जोर देते हुए उस पर अडिग रहना चाहिए। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जेंडर विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद नीति निर्धारण में जेंडर के हितों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें उसमें शामिल किया जाए।

संदर्भ सामग्री

फोन्ताना, एम (2003): ''द जेन्डर इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड लिबरेलाइजेशन इन डेवेलपिंग कन्ट्रीज : ए रिव्यू ऑफ द लिटरेचर'', डी पी 101, डिसकशन पेपर्स इन इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स एट ब्राइटन।

ग्रेन (2004): ''हाऊ एफटीएज एंड अदर बाइलेटरल ट्रीटीज इम्पोज इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स ऑन लाइफ इन डेवेलपिंग कन्ट्रीज'', फरवरी।

मेडिसिन्स सान्स फ्रन्टीयर्स (2007): एक्जाम्पल्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एज द ''फार्मेसी फोर द डेवेलपिंग वर्ल्ड''।

सेनगुप्ता, रोन्जा एंड अभिलाष गोपीनाथ (2009) : ''द करेंट ट्रेड फ्रेमवर्क एंड जेन्डर लिंकेजेज इन डेवेलपिंग इकोनॉमीज : एन इंट्रोडक्टरी सर्वे ऑफ इश्यूज विद स्पेशल रेफ्रेंस टू इंडिया, रिपोर्ट नं.1'', ट्रेड एंड जेन्डर सीरीज, सेन्टर फोर ट्रेड एंड डेवलपमेंट (सेंटेड) एंड हेइनरिच बॉल फाउंडेशन (एचबीएफ), नई दिल्ली।

श्रीनिवासन, एस (2005)रू ''फार्मस्यूटिकल्स, डब्ल्यूटीओ/ट्रिप्स एंड विमेन'', अवेलेबल एट– http://www.eSocialSciences.com/data/articles/Document12711200500.6245691.doc

अंकटाड (2009): '' मेनस्ट्रीमिंग जेन्डर इन ट्रेड पॉलिसी : केस स्टडीज'', जेनेवा : अंकटाड।

यूएनडीपी (2007): ''जेन्डर डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी एंड ट्रेडिशनल मेडिसनल नॉलेज'', ई–डिसकसन पेपर, एशिया–पेसिफिक ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट इनिशिएटिव, यूएनडीपी रीजनल सेंटर, कोलंबो।

वैन स्टेवेरेन, आइरेन, डिएन इल्सन, करनेन ग्राउन एंड निलुफर कैगाटाय (एडिटर्स) (2007)रू ''द फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रेड'', कोलचेस्ट : फ्रासिस टेलर ग्रुप।

डब्ल्यूटीओ (2006): ''ट्रिप्स एंड फार्मस्यूटिकल्स पेटेन्ट्स : फैक्ट शीट'' अवेलेबल एट– http://www.org/English/tratop_e/trips_e/tripsfactsheet_pharma_2006_e.pdf

झवेरी,एन बी (1998): ''पेटेन्ट्स फोर मेडिसिन'', इंडियन ड्रग मनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुंबई।

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

TWN
Third World Network

यह संक्षिप्त विवरण थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क (टीडब्ल्यूएन) और हेइनरीज बॉइल फाउंडेशन (एचबीएफ) भारत द्वारा प्रकाशित व्यापार एवं महिलाओं (जेंडर) पर प्रभाव संबंधी संक्षिप्त विवरण सीरीज का तीसरा भाग है। भारत और अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार के उदारीकरण से महिलाओं पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभावों से संबंधित मसलों पर जानकारी के प्रसार एवं प्रचार के उद्देश्य के साथ यह सीरीज प्रकाशित की जाती है।

लेखक : संतोष एम आर और रोन्जा सेनगुप्ता

प्रकाशन की तारीख : अप्रैल, 2011 **मुद्रक** : इंडाइटग्लोबल, नई दिल्ली

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : संतोष एम आर और रोन्जा सेनगुप्ता, ईमेल : santosh.jnu@gmail.com या ranja.sengupta@gmail.com

घोषणा : इसमें प्रकाशित विश्लेषण और निष्कर्ष सिर्फ लेखक के हैं और यह जरूरी नहीं है कि वे टीडब्ल्यूएन और एचबीएफ के विचारों या रुख के साथ मेल खाएं। पाठकों से अनुरोध है कि वे इसके लेखक, टीडब्ल्यूएन और एचबीएफ के प्रति समुचित आभार प्रकट करते हुए इस लेख का उद्धरण या हवाला देने का कष्ट करें।

कॉपीराइट : यह कार्य क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन–नॉनकामर्शियल–नोडिराव्स 3.0 लाइसेंस के तहत लाइसेंसीकृत है।

साभार : हम अमूल्य सुझाव देने के लिए काजल भारद्वाज और संपादन में मदद के लिए कुमार गौतम के प्रति अत्यंत आभारी हैं।